संख्या-11/2023/001-330/60-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 28 मार्च, 2023**

विषय:-मॉडल होम राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर)/राजकीय बाल गृह (शिशु), आगरा के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3835/निदे0म0क0/प्रोबे0/भ0नि0-18/2022-23, दिनांक 13.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो मॉडल राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर)/राजकीय बाल गृह (शिशु), आगरा के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याक-1707/60-1-15-1/13(49)/15, दिनांक 07.10.2015 द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर)/राजकीय बाल गृह (शिशु), आगरा के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या0-1836/60-1-15-1/13(49)/15, दिनांक 19.10.2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या-1387/60-1-15-1/13(49)/15, दिनांक 22.07.2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्यार-1387/60-1-15-1/13(49)/15, दिनांक 09.06.2017 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 516.55 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

3- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा के नवीन भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-3442/60-1-16-1/13(49)/15, दिनांक 30.12.2016 द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत रू0 1198.55 लाख को अन्तिम मानते हुये तद्नुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 282.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का निवर्तन निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश दिनांक 08.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कलयाण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(9) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) योजनान्तर्गत बाटआउटस आईट्म्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

(14) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो/गाईडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,82,00,000/- (रूपये दो करोड़ बयासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 049 लेखाशीर्षक 4235021038902 विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

सुनील कुमार यादव
अनु सचिव

संख्या-11/2023/001/330/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
7- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डाल, आगरा।
8- जिलाधिकारी, आगरा।
9- उप मुख्यर परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, आगर मण्डल, आगरा।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
12- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सुनील कुमार यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।